प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1— समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड ।

2— समस्त अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

पत्र सख्या 1415 /02—सू0का0अधि0अधि0—05 / 2014—15 दिनॉक 09 सितम्बर, 2015

विषयः— निजी नाप भूमि में खनन पट्टा हेतु प्राप्त आवेदन—पत्रों में निजी भूमिधारको की सहमति की मूल प्रति जिला कार्यालय में संरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग में योजित अपील संख्या 17041 / 2014 श्री जे0सी0 चन्दोला बनाम लोक सूचना अधिकारी / मुख्यालय व ज्येष्ठ खान अधिकारी / उप निदेशक, खान भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड व अन्य में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने अनुरोध पत्र में खडिया खनन कार्य से पूर्व भू—स्वामी की अनापत्ति प्रमाण—पत्र की मूल प्रति चाही गयी थी। जो कि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में उपलब्ध नही थी। जबकि लोक सूचना अधिकारी / जिला कार्यालय बागेश्वर के पत्र संख्या 89 / XLIII—39—खनन / सूचना / (2012—13) / 15 दिनॉक 18—05—2012 में वॉछित सूचना के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि " बिन्दु संख्या 02 की सूचना के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय की पत्रावली में भी अनापत्ति पत्र की छायाप्रति संचित हैं। मूल प्रति स्वीकृति की प्रक्रिया के तहत निदेशालय को भेजने के पश्चात् वापस प्राप्त नही हुयी है। " इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खनन पट्टा प्राप्त किये जाने हेतु नियमानुसार आवेदन—पत्र वॉछित संलग्नको के साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन—पत्र के सम्बन्ध में नियमानुसार जॉच आख्या, आवेदन—पत्र एवं सम्बन्धित संलग्नको की छायाप्रति सहित निदेशालय को प्रेषित की जाती है तदोपरान्त निदेशालय द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है।

वर्तमान समय में औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844 / VII—1 / 2015 / 68—ख / 2015 दिनॉक 31 जुलाई 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति 2015 के बिन्दु संख्या 03 (नौ) के अनुसार खनन पट्टा हेतु नाप भूमिधारक को प्रतिप्रर्ति हेतु जिलाधिकारी निर्धारक अधिकारी है एवं 6 (तीन) (क) के अनुसार निजी नाप भूमि में भू—स्वामी की नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति के आधार पर खनन पट्टे हेतु आशय पत्र निर्गत किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त क्रम में सम्बन्धित समस्त अभिलेखो की मूल प्रति की जॉच कराकर यह सुनिश्चित् कर लिया जाय कि आवेदित स्थल में भू—स्वामी की सहमति प्राप्त आवेदक के अतिरिक्त खनन पट्टा हेतु अन्य कोई आवेदन नही किया गया है, तद्नुसार आश्वस्त होने के उपरान्त आवेदन—पत्र से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों की मूल प्रति जिलाधिकारी कार्यालय स्तर पर संरक्षित व नियन्त्रित करते हुये, अभिलेखो की सत्यापित छायाप्रति खनन पट्टे के आवेदन पत्र के साथ संस्तुति सहित निदेशालय एवं शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
निदेशक।

पत्रॉक 1415 / 02—सू0का0अधि0अधि0—05 / 2014—15 तद्दिनॉकित
प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
निदेशक।